41—(08)—69—2019

पटना में दिनांक—15 जनवरी, 2019 मंगलवार को अपराह्न 5:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

	भवन निर्माण विभाग		
1.	स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं रख—रखाव संबंधित कार्य विभाग के अधीन गठित निगमों द्वारा ही किये जाने के संबंध में।	1.	स्वीकृत।
	वाणिज्य—कर विभाग		
2.	विभागीय सॉफ्टवेयर के लिए आगामी एक वर्ष (दिनांक 23.08.2018 से 22.08.2019 तक) हेतु टी.सी. एस. के वार्षिक रख—रखाव (Annual Maintenance Charges (AMC)) के नवीकरण के लिए बेल्ट्रॉन के प्रस्ताव पर नामांकन के आधार पर टी.सी.एस. को देय कुल राशि रू० 10000000/— (एक करोड़ रूपया) मात्र तथा दिनांक—23.08.2016 से दिनांक 22.08.2017 तक एक वर्ष के वार्षिक रख—रखाव (Annual Maintenance Charges (AMC)) लिए रू० 1,04,34,600.00 (एक करोड़ चार लाख चौंतीस हजार छः सौ रूपया) मात्र अर्थात कुल रू० 20434600/— (दो करोड़ चार लाख चौंतीस हजार छः सौ) मात्र एवं इन राशियों पर बेल्ट्रॉन को देय मार्जिन एवं कर की राशि की स्वीकृति देने के संबंध में।	2.	स्वीकृत।
	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग		
3.	बक्सर जिलान्तर्गत अंचल डुमराँव के मौजा—डुमराँव नगरपालिका, वार्ड नं०—04, थाना सं०—168 के खाता नं०—381 के विभिन्न खेसरा की भूमि का कुल रकबा—25.00 एकड़, (भूमि विवरणी संलग्न—परिशिष्ट—I) पशुपालन विभाग, बिहार की भूमि चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में।	3.	स्वीकृत।
	स्वास्थ्य विभाग		
4.	वित्तीय वर्ष 2018—19 में राज्य के 6 अनुमंडलीय अस्पताल यथा रक्सौल (पूर्वी चम्पारण), सिकरहना ढाका (पूर्वी चम्पारण), विरौल (दरभंगा), गोगरी (खगड़िया), वीरपुर (सुपौल) एवं त्रिवेणीगंज (सुपौल) के प्रथम चरण में 50 शैय्या के भवन निर्माण हेतु विभिन्न दरों पर कुल रूपये 1,05,22,00,000/—(एक अरब पाँच करोड़ बाइस लाख रूपये) की स्वीकृति का प्रस्ताव।	4.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

5. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY), Phase-III अन्तर्गत दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर एवं Phase-IV अन्तर्गत पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर एवं अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया में स्थापित किये जा रहे सुपरस्पेशलिटी विभागों के लिए विभिन्न शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कोटि के कुल 1816 (एक हजार आठ सौ सोलह) पदों के सृजन की स्वीकृति।

5. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

6. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत शिवहर जिला के पुराने अस्पताल को मातृ शिशु अस्पताल के रूप में विकसित करते हुए अस्पताल को संचालित करने हेतु विभिन्न कोटि के आवश्यक कुल 31 (एकतीस) पदों के सृजन की स्वीकृति।

6. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

7. राज्य के 08 कार्यरत एवं 09 प्रस्तावित, अर्थात कुल 17 (सत्रह) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में एम०सी०आई० मापदण्ड के अनुरूप ई०एन०टी० विभाग के लिए 34 (चौंतीस) नये पदों के सृजन की स्वीकृति।

7. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

8. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा निदेशालय का गठन एवं इस हेतु विभिन्न स्तरों के कुल 13 (तेरह) अप्रासंगिक/अनुपयोगी पदों को प्रत्यर्पित करते हुए चिकित्सा शिक्षा निदेशालय हेतु विभिन्न स्तरों के कुल 111 (एक सौ ग्यारह) पदों के सृजन की स्वीकृति।

8. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

9. डा० विनय कुमार शर्मा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहनपुर, बेगूसराय को पॉच वर्षों से अधिक लगातार अपने कर्त्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में।

9. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

10. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2019 के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

11. वर्ष 2018 में अनियमित एवं अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न गंभीर स्थित को ध्यान में रखते हुए राज्य के 24 जिलों के कुल 275 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित करने के निमित्त पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं० 2898/आ०प्र०, दिनांक–15.10.2018 एवं संशोधित अधिसूचना सं० 3048/आ०प्र०, दिनांक–03.11.2018 में आंशिक संशोधन के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

वित्त विभाग

12. सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय/न्यायिक कार्यवाही लंबित रहने की स्थिति में उपदान के भुगतान के नियमन हेतु बिहार पेंशन नियमावली, 1950 में नया नियम–43(घ) जोड़ने एवं नियम–27 को संशोधित करने के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

13. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता–परीक्षाओं के प्रधान/सह परीक्षकों तथा आयोग–कार्यालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यालय–अवधि के पूर्व एवं बाद में तथा रविवार/अवकाश के दिन किये गये कार्य के लिए पारिश्रमिक/मानदेय की दर में संशोधन/वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

14. आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु कंडिका–03, 04, 05 एवं कंडिका–06 में उल्लेखित राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय नियमित एवं संविदागत पदों का सृजन एवं इन पदों के वेतन भुगतान हेतु कुल रू० 7,51,53,060/– (सात करोड़ इक्यावन लाख तिरेपन हजार साठ रू०) प्रतिवर्ष के अनुमानित व्यय किये जाने की स्वीकृति। — 14. स्वीकृत।

परिवहन विभाग

16. CWJC No. 7185/2005 में दिनांक 04.06.2015 को पारित आदेश एवं MJC No. 1159/2016 में दिनांक 10.08.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा दिनांक 30.08.2018 को बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में निगम को सरकार द्वारा पूर्व में उपलब्ध करायी गयी 318.24 करोड़ रूपये की राशि में से अवशेष राशि से दिनांक 31.03.2015 के बाद सेवानिवृत/मृत कर्मियों को सेवांत लाभ का भुगतान करने एवं निगम को 127 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति। — 16. स्वीकृत।

परिवहन विभाग

17. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली–1992 के अन्तर्गत Aggregator policy के तहत् कर दर का निर्धारण, परमिट के फीस की दर में परिवर्त्तन, निजी क्षेत्र में वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्र खोलने को प्रोत्साहन देने हेतु अवधारित फीस में बढ़ोत्तरी करने एवं संवाहकों/चालकों के बैज से संबंधित नियमों यथा–नियम–74(ज) के बाद एक उपनियम (ट) एवं नियम–74 (झ) (vii) के पश्चात् उपनियम–(viii), (ix), (x) जोड़े जाने तथा नियम–74 (ग) एवं नियम–163'ग' के क्रम संख्या–01, 02 तथा नियम–31 एवं नियम–82 को प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

18. केन्द्र प्रायोजित AMRUT योजना के अन्तर्गत जमालपुर जलापूर्ति योजना, पार्ट–A प्राक्कलित राशि 3073.313 लाख एवं औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II, पार्ट–A प्राक्कलित राशि 3353.98 लाख और राज्य योजनान्तर्गत जमालपुर जलापूर्ति योजना, पार्ट–B प्राक्कलित राशि 2502.18 लाख एवं औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II, पार्ट–B प्राक्कलित राशि 10189.397 लाख अर्थात कुल प्राक्कलित राशि ₹19118.87 लाख (एक अरब एक्यानवे करोड़ अठारह लाख सतासी हजार रू० मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति। — 18. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

19. शेखपुरा जिलान्तर्गत पानापुर पंचायत के बाउधाट ग्राम में थाना का सृजन एवं इसके संचालन हेतु विभिन्न कोटि के कुल 31 (एकतीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 19. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

21. श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू० 591,77,00,000/–(रूपये पाँच सौ इक्यानवे करोड़ सतहत्तर लाख) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति।

21. स्वीकृत।